

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता PD, लोक निर्माण विभाग, SAMBHAL

प्रमाणपत्र क्रमांक : UPPWD/2021-2022/10008106 दिनांक:-05/01/2022
सेवा में,

TORRENT GAS PVT LTD
chandausi badayun road, SHAMBHAL, 244412

विषय:- एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग पर Gas Pipeline डालने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आवेदन क्रमांक:-PWD10008106

महोदय,

क्र० सं०	मार्ग का नाम	कटिंग की जाने वाली मार्ग की चैनैज/स्थल का विवरण	कटिंग की जाने वाली सतह का प्रकार	मात्रा	यूनिट
1	एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग	Kaccha Part	0.0000-3.00	60	M ²
2	एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग	Interlocking Tiles	0.0000-0.0000	0	M ²
3	एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग	SDBC	0.0000-0.0000	0	M ²
4	एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग	BC	0.0000-0.0000	0	M ²
5	एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग	Mastic Concrete	0.0000-0.0000	0	M ²

शर्तें :-

- कटिंग का कार्य मार्ग के मध्य भाग से कम से कम 13.00 मी० की दूरी अथवा कच्चे भाग में मार्ग की सतह से 1.50 मी० की गहराई पर ही डाली जायेगी। इससे अधिक कार्य कदापि नहीं कराया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सहायक अभियन्ता को लिखित सूचना देनी होगी एवं उक्त कार्य की ड्राईंग एवं सेक्शन तथा गहराई की जानकारी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को देनी होगी। रोड कटिंग का मलबा लेपित मार्ग पर एकत्रित न करके, कार्य इस प्रकार कराया जाये कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।
- सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय, जैसे वैरिकेडिंग, झन्डी, लालटेन आदि की व्यवस्था आप स्वयं करेंगे।
- यातायात के सुगम संचालन हेतु ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित कर कार्य कराना होगा कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- मार्ग के जंकशन आदि पर यदि किसी अन्य विभाग / संस्था की भूमि पड़ती है तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।
- इस मार्ग पर अन्य विभागों की केबिल / पाइप लाइन आदि बिछी हो सकती हैं। कार्य इस प्रकार कराया जाये कि उन्हें कोई क्षति न पहुंचे। उन विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त करने एवं किसी प्रकार की क्षति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- वाटर, सीवर, गैस एवं बिजली आदि की लाईन पड़ने पर उसे कोई क्षति न पहुंचे। उन विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त करने एवं क्षति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- यदि भविष्य में मार्ग का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के कार्य में यदि पाइप लाइन / केबिल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा एवं पाइप लाइन / केबिल को स्वयं के खर्च पर स्थानान्तरित करायेगा।
- कार्य इस खण्ड के सहायक अभियन्ता की देख-रेख में इस प्रकार सम्पन्न कराया जाये जिससे लोक निर्माण विभाग के मार्ग को किसी प्रकार की क्षति न हो, अन्यथा की स्थिति में सभी प्रकार की क्षति की भरपाई आपसे की जायेगी।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आई०जी०एल० अथवा नेचुरल गैस विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी कि निर्माण कार्य करते समय आई०जी०एल० अथवा नेचुरल गैस की पाइप लाइन को किसी प्रकार की क्षति न हो। यदि आई०जी०एल० की पाइप लाइन को किसी प्रकार की क्षति होती है तो भारत का राजपत्र में वर्णित The petroleum and natural gas regulatory board act 2006 Dt. 31-05-06 में वर्णित किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। मार्ग पर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन अथवा किसी अन्य विभाग की लाइन अगर हों तो उनसे एन०ओ०सी० प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य सम्पादित कराया जाये।
- उपरोक्त कार्य को करने हेतु यह अनुमति अधिकतम तीन माह (अनुमति जारी होने की तिथि से) के लिए मान्य होगी। यदि किसी कारणवश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं कराया जाता है तो उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से अलग से निर्गत की जायेगी।
- आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र के अधीन कार्य करने पर वन विभाग से अपने स्तर से एन०ओ०सी० प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा।
- यह अनुमति मात्र आवेदन में अंकित मार्ग के चैनेज के लिए ही मान्य होगी।
- उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने की सूचना/प्रमाण पत्र आप चरण बार अधोहस्ताक्षरी को देंगे जिससे इसकी मरम्मत का कार्य चरण बार ही किया जा सके। अगर विभाग द्वारा मरम्मत करने के पश्चात आप द्वारा मार्ग पर पुनः कार्य किया जाता है तो उसकी अनुमति अलग से लेनी होगी।
- एन०ओ०सी० जारी होने के उपरांत 7 दिन के भीतर कार्य प्रारम्भ करना तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित अवधि से लोक निर्माण विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।



Digitally Signed By
(Krishan Vir)

0E7F68E45DCCCCF968125E55CFAE6CBBF6E04F62

Date: 05/01/2022 5:19:26 PM, Location: SAMBHAL.

अधिशासी अभियन्ता,
PD, लो०नि०वि०, SAMBHAL



Print

Close

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता PD, लोक निर्माण विभाग, SAMBHAL

दिनांक:-28/05/2022

पत्रांक:- RC-DN/PWD10010153

सेवा में,

TORRENT GAS PVT LTD

State highway Chandausi - Budaun road, SHAMBHAL, 244412

विषय:- मुरादाबाद फरूखाबाद मार्ग पर Gas Pipeline डालने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आवेदन क्रमांक:- PWD10010153

क्र० सं०	मार्ग का नाम	कटिंग की जाने वाली मार्ग की चैनेज/स्थल का विवरण	कटिंग की जाने वाली सतह का प्रकार	मात्रा	यूनिट	दर	धनराशि(रुपया)
1	मुरादाबाद फरूखाबाद मार्ग	Kaccha Part	42.00-44.200	196	M ²	920	180320
2	मुरादाबाद फरूखाबाद मार्ग	Interlocking Tiles	43.300-43.400	9	M ²	3490	31410
3	मुरादाबाद फरूखाबाद मार्ग	SDBC	0.0000-0.0000	0	M ²	4030	0
4	मुरादाबाद फरूखाबाद मार्ग	BC	0.0000-0.0000	0	M ²	4335	0
5	मुरादाबाद फरूखाबाद मार्ग	Mastic Concrete	0.0000-0.0000	0	M ²	5820	0
Total Amount :						211730	
Grand Total :						211730	

नोट:-

- उपरोक्त धनराशि अधिशासी अभियन्ता, PD, लो०नि०वि०, SAMBHAL के नाम ऑनलाइन भुगतान द्वारा ही प्राप्त किया जायेगा। धनराशि प्राप्त होने के उपरांत ही अनुमति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।
- कटिंग का कार्य मार्ग के मध्य भाग से कम से कम 13.00 मी० की दूरी अथवा कच्चे भाग में मार्ग की सतह से 1.50 मी० की गहराई पर ही डाली जायेगी।
- केबिल/पाइप लाइन डालने से पहले उसके नीचे सीमेंट कंक्रीट या हार्ड स्ट्रेटा डाला जाए, ताकि पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो तथा भविष्य में मरम्मत हेतु रोड कटिंग से बचा जा सके। उक्त कार्य

से पूर्व उक्त कार्य की ड्राइंग एवं सेक्शन तथा गहराई संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, PD, लो०नि०वि०, SAMBHAL से अनुमोदित कराने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ करने दिया जाएगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग को सूचित करना होगा।

4. रोड कटिंग के समय कोई दुर्घटना न हो इस हेतु पर्याप्त वेरीकटिंग, साइनबोर्ड आदि लगाएँ तथा यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी कटिंग एजेंसी की होगी।
5. उक्त रोड कटिंग के कारण यदि किसी सर्विस लाइन/केबिल आदि की क्षति होती है अथवा उस कारण भविष्य में मार्ग को कोई भी क्षति पहुँचती है तो उसकी मरम्मत का सम्पूर्ण हर्जाना संबंधित कटिंग विभाग को स्वयं वहन करना होगा।
6. कटिंग एरिया अधिक होने पर उसकी अनुमति पुनः लेने के उपरांत ही कार्य किया जाए।
7. यह अनुमति केवल लो०नि०वि० के मार्गों के लिए रोड कटिंग से संबंधित है, यदि इसके अतिरिक्त अन्य विभाग/नियम आदि की अनुमति की आवश्यकता हो तो उसकी अनुमति संबंधित विभाग से स्वयं लेनी होगी।
8. जब कभी विभाग को मार्ग चौड़ीकरण एवं अन्य कारणों से उक्त स्थल की आवश्यकता होगी तो केबिल/पाइप आदि डालने वाले विभाग/कंपनी फर्म को उक्त केबिल/पाइप लाइन आदि अपने खर्च पर हटाकर पूर्व स्थिति में विभाग को उक्त स्थल उपलब्ध कराना होगा।

पत्रांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (म० क्षे०), लो०नि०वि०, PD।
2. अधीक्षण अभियन्ता, SAMBHAL वृत्त, लो०नि०वि०, SAMBHAL को औपचारिक अनुमति प्रदान करने हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता (IV), PD, लो०नि०वि०, SAMBHAL।
4. अवर अभियन्ता (प्रा०), PD, लो०नि०वि०, SAMBHAL।

अधिशाली अभियन्ता,
PD, लो०नि०वि०, SAMBHAL
दिनांक:-28/05/2022

अधिशाली अभियन्ता,
PD, लो०नि०वि०, SAMBHAL

